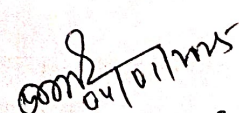


आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्य के बारे टिप्पणी, ता सहित
4.01.2025	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महुआडांड के पत्रांक-472/रा०, दिनांक-17.12.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम महुआडांड थाना नं०-136 के खाता सं०-199, प्लॉट सं०-417, रकबा 0.81 एकड़ की है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की रैयती भूमि है। प्रस्तावित भूमि का मांग विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी II में चलता है। खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध स्वयं का है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही राजस्व थाना क्षेत्र के निवासी हैं तथा दोनों अनुसूचित जनजाति के उरांव जाति के हैं। दोनों आदिवासी दम्पति से उत्पन्न सन्तान है। आवेदक के पास ग्राम-महुआडांड में 8.89 1/2 एकड़ भूमि है। आवश्यक कार्य हेतु मौजा-महुआडांड के खाता सं०-199, प्लॉट सं०-417, रकबा 0.81 एकड़ भूमि विक्रेता करना चाहते हैं विक्री के पश्चात विक्रेता के पास 8.08 1/2 एकड़ भूमि बचता है। प्रस्तावित भूमि की विक्रेता के निमित्त आम इस्तहार का तामिला प्राप्त है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। क्रेता एवं विक्रेता को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। दिनांक- 04.01.2025 को विक्रेता कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि मैं अपनी इच्छा से भूमि विक्री करना चाहती हूँ। अतः अंचल अधिकारी, महुआडांड के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुर्यमणि उराईन, पिता- स्व० शनिचर उराँव, ग्राम-महुआडांड, थाना-महुआडांड, जिला-लातेहार मौजा- महुआडांड के खाता सं०-199, प्लॉट सं०-417, रकबा 0.81 एकड़ भूमि को सुबोध खलखो, पिता-स्व० फिलिप खलखो, ग्राम-चैनपुर, थाना-महुआडांड, जिला-लातेहार के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत विक्रेता करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है। स्वीकृति आदेश निर्गत करें।  भूमि सुधार उप-समाहर्ता महुआडांड।	